Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 20-2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 14 मई, 2019
(24 वैशाख, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 22/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 10 मई, 2019 – हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, कनिष्ठ इंजीनियर (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2019.	165–168
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मई, 2019

संख्या सा०का०नि० 22/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, कनिष्ठ इंजीनियर (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1986, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, कनिष्ठ इंजीनियर (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, कनिष्ठ इंजीनियर (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1986 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, "सत्रह वर्ष" तथा "तीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह वर्ष" तथा "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाँएगे।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग में स्नातक (सिविल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत ।	**पदोन्नति द्वारा —** (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग में स्नातक (सिविल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा (ii) कार्य निरीक्षक या सर्वेक्षक के रुप में छह वर्ष का अनुभव। **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—** (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग में स्नातक (सिविल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत।

2	कनिष्ठ इंजीनियर (मकैनिकल)	(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित मकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टैक/ इंजीनियरिंग में स्नातक (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत।	**पदोन्नति द्वारा –** (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित मकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग में स्नातक (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा ; तथा (ii) शिफ्ट इंजीनियर, जलघर अधीक्षक या फोरमैन के रुप में छह वर्ष का अनुभव। **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित मकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग में स्नातक (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत।

टिप्पण 1: केवल सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या इसके समकक्ष योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

टिप्पण 2: सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवा ग्रहण करने के उपरान्त प्राप्त की गई किसी उच्चतर योग्यता को किसी सेवा लाभ के लिए विचारा नहीं जाएगा।"।

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

Notification

The 10th May, 2019

No. G.S.R. 22/Const./Art. 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Junior Engineers (Group C) Service Rules, 1986, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Junior Engineers (Group C) Service (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Junior Engineers (Group C) Service Rules, 1986 (herein after called the said rules), in rule 5, for the words "seventeen years" and "thirty years", the words and sign "eighteen years" and "forty- two years" shall be substituted respectively.

3. In the said rules, for Appendix-B, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"**APPENDIX B**

(see rule 7)

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1.	Junior Engineer (Civil)	(i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.	**By promotion -** (i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Six years experience as Work Inspector or Surveyor. **By transfer olr deputation -** (i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others institute recognized by the Government; Or B.Tech in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.

2.	Junior Engineer (Mechanical)	(i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.	**By promotion -** (i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Six years experience as Shift Engineers, Water Works Superintendents or Foreman. **By transfer or deputation -** (i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.

Note 1: Only candidates having Diploma or Degree or its equivalent qualifications as recognized by the Government shall be eligible.

Note2: Any higher qualification obtained after joining the service, without prior permission of the competent authority, shall not be considered for any service benefit. ".

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Health Engineering Department.

57047—C.S.—H.G.P., Chd.